**Title: Need to enhance the income-ceiling criteria for SC and ST students for pre-matric scholarship**

**डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):** मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के शिक्षा के लिए उनको जो प्रीमेट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है उसमे आज भी उनकी पारिवारिक वार्षिक आय की लिमिट 2.5 लाख रूपये है । अभी तक सरकार द्वारा कई पे कमीशन लागू किए गए हैं जिसके बाद एक चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी की आय भी 2.5 लाख से अधिक हो जाती हैं जिससे उन छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाता है तथा वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अतः महोदय जिस प्रकार से ओबीसी छात्रों के लिए उनकी पारिवारिक आय को 8 लाख किया गया है उसी प्रकार मेरा सरकार से अनुरोध है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए भी यह लिमिट 2.5 लाख रूपये से बढ़ाकर 8 लाख रूपये किया जाए ताकि कोई भी छात्र प्रीमेट्रिक स्कॉलरशिप से वंचित न रहे व अच्छी शिक्षा प्राप्त कर भविष्य में राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सके।